

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 12.01.2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए नम्बर सन् 2022

व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 छापर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.6634 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 995/269 रकबा 0.6796 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 छापर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.6796 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 948/230 रकबा 96.8831 हैक्टेयर किस्म चरागाह में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 940/168 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चरागाह में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.5663 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का खण्डाच परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/2021/9718-46 दिनांक 17.08.2021 द्वारा चारागाह भूमि से गुजर रहे/चारागाह भूमि में स्थित रास्ते बाबत निर्देश दिये गये है कि राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत राजस्व मानचित्र में किस्म "गै0मु0 रास्ता/गै0मु0 सड़क" अंकित कर तरमीम की जावे, लेकिन इसे चारागाह खाते में ही रखा जावे। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या12.0 सन् 2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

:- आदेश :-

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू-अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट - "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 छापर में से रकबा 0.6634 हैक्टेयर भूमि में, खसरा नम्बर 995/269 रकबा 0.6796 किस्म गै0मु0 छापर में से रकबा 0.6796 हैक्टेयर भूमि में, खसरा नम्बर 948/230 रकबा 96.8831 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि में एवं खसरा नम्बर 940/168 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से रकबा 0.5663 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/2021/9718-46 दिनांक 17.08.2021 द्वारा चारागाह भूमि से गुजर रहे/चारागाह भूमि में स्थित रास्ते बाबत दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत राजस्व मानचित्र में किस्म "गै0मु0 रास्ता/गै0मु0 सड़क" अंकित कर तरमीम की जावे, लेकिन इसे चारागाह खाते में ही रखा जावे। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्रांक/कअ/राजस्व/2021/9718-46 दिनांक 17.08.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्राम खण्डाच तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.6634 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 छापर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.6634 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 995/269 रकबा 0.6796 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 छापर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.6796 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 948/230 रकबा 96.8831 हैक्टेयर किस्म चरागाह में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 940/168 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म चरागाह में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.5663 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में गै0मु0 रास्ता के नाम से करावे।

यह आदेश आज दिनांक 04/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)